

न्यायालय जिला कलक्टर, चूरु
पीठासीन अधिकारी - सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरु (राजस्थान)

अपील संख्या 16 सन् 2021

निर्णय दिनांक 10.03.2022

प्रमोद कुमार पुत्र बदीप्रसाद निवासी पहाड़सर तहसील राजगढ़ जिला चूरु

- प्रार्थी

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) राजगढ़

बनाम

अपील अन्तर्गत धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

- अप्रार्थीगण

-:: निर्णय ::-

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलांट के अनुसार दिनांक 28.06.2021 को लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) राजगढ़ को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयवधि में लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) राजगढ़ द्वारा प्रार्थी अपीलांट को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्रार्थी अपीलांट ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांट व रेस्पोंडेंट की तल्बी की गई।

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) राजगढ़ से दिनांक 07.03.2022 को अपील के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक द्वारा चाही गई सूचना काफी विस्तृत होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 3770 दिनांक 11.02.2022 द्वारा आवेदक को व्यक्तिशः उपस्थित होकर रिकॉर्ड अवलोकन हेतु लिखा गया था।

सुनवाई के दौरान अपीलांट व रेस्पोंडेंट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर मनन किया गया। चूंकि चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराये गये प्रत्युत्तर/विनिश्चय तर्क संगत है। अतः अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरु